रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 1984/कार्तिक 9, 1906
No. 159] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1984/KARTIKA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1984

सार्वजनिक सूचना सं. 63-आईटीसी(पीएन)/84

विषय :—स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति योजना 1 आयात-निर्यात नीति 1984-85 के परिशिष्ट-22 का अनुबंध-3 ।

मिसिल सं. 12/37/84-ईपीसी.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 57-आईटीसी(पीएन)/84 दिनांक 1 अक्तूबर, 84 की ओर ध्यान दिलाया जाता है

जिसमें यह अधिसूचित किया गया है कि 1 अक्तूबर, 84 से उक्त योजना के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोना बेचने की कीमत 1343/- रु. शुद्ध सोने का प्रति 10 ग्राम (0.999 शुद्धता) उस पर लागू होने वाले किसी भी स्थानीय कर को छोड़ कर होगी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि 1 नवम्बर, 84 से आगामी आदेश जारी होने तक, रिलीज आदेश के धारकों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह कीमत शुद्ध सोने के प्रति 10 ग्राम (0.999 शुद्धता) (उस पर लागू होने वाले किसी भी स्थानीय कर को छोड़कर) केवल 1361.00 रु. (एक हजार तीन सौ इकसठ रुपए) होगी ।

एस. आई. त्रिपाठी, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st October, 1984

PUBLIC NOTICE NO. 63-ITC(PN)/84

Subject : Gold Jewellery Export Promotion and Replenishment Scheme—Annexure III to Appendix 22 of the Import & Export Policy 1984-85 (Vol-I).

File No. 12/37/84-EPC.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 57-ITC(PN)/84, dated the 1st October, 1984, notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India with effect from 1st October, 1984 would be Rs. 1343/- per 10 gms. of pure gold (0.999 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it has been decided that the price at which gold will be sold to the Release Order holders under the said Scheme by the State Bank of India with effect from 1st November, 1984 until further orders would be Rs. 1361 (Rs. one thousand three hundred and sixty one only) per 10 gms. of pure gold (0.999 fineness), (exclusive of any local taxes applicable thereto).

S. I. TRIPATHI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984